

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013—आश्विन 26, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-3-7-2012-एक-4.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2013 रविवार होने के कारण दशहरा का अवकाश पृथक से घोषित नहीं किया गया था। चूंकि मध्यप्रदेश में दिनांक 14 अक्टूबर 2013 सोमवार को मनाया जा रहा है। अतः राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2013 सोमवार को सामान्य अवकाश तथा निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ-3-2-2013-एक-4.—राज्य शासन एतद्द्वारा नगरपालिका परिषद् अनूपपुर जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 16 सितम्बर 2013 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-3-4-2013-एक-4.—राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014 के लिये घोषित किये गये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा

संस्थाओं में मनाये जाने वाले अवकाशों की अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर 2013 (क्र. 416) को असाधारण राजपत्र में जारी की जा चुकी है। यह अधिसूचना वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. एफ ए 5-02-2013-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अवकाश अवधि (1)	कुल दिन (2)	अवकाश का प्रकार (3)	अभियुक्ति (4)
दि. 2-9-2013 से दि. 3-9-2013 तक	02 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 31-8-2013 एवं 1-9-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ-ए-5-12-2013-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एन. के. गुप्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अवकाश अवधि (1)	कुल दिन (2)	अवकाश का प्रकार (3)	अभियुक्ति (4)
दि. 19-8-2013 से दि. 22-8-2013 तक.	04 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18-8-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक)-3988-13.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस

विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 25 जून, 2008 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11 जुलाई, 2008 को प्रकाशित हुई थी, को अतिरिक्त करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री राजीव अयाची, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किए अपराधों के विचारण करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय, इंदौर होगा, अर्थात्:—

राजस्व जिले

- (1) इन्दौर, (2) धार, (3) रतलाम, (4) झाबुआ, (5) मंदसौर, (6) पश्चिम निमाड़ (खरगौन), (7) उज्जैन, (8) देवास, (9) शाजापुर (10) पू. निमाड़ (खण्डवा), (11) नीमच, (12) बड़वानी, (13) अलीराजपुर, (14) बुरहानपुर.

F. N.1-5-96-XXI-B(One)3988-13.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this department's Notification F. N. 1-5-96-XXI-B(One), dated 25th June, 2008, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 11th July, 2008, the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Rajeev Ayachi, IVth Additional Sessions Judge, Indore, as a Special Judge with Headquarter at Indore, for the areas comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:—

REVENUE DISTRICTS

- (1) Indore, (2) Dhar, (3) Ratlam, (4) Jhabua, (5) Mandsaur (6) West Nimar (Khargone), (7) Ujjain, (8) Dewas, (9) Shajapur, (10) East Nimar (Khandwa), (11) Neemuch, (12) Barwani, (13) Alirajpur, (14) Burhanpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 1(सी) 13-2012-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 22 अगस्त 2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के लंबित प्रकरणों में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2013 द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री पंकज दुबे को देय मासिक पारिश्रमिक रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार) के स्थान पर, रु. 55,000/- (रु. पचपन हजार) मासिक पारिश्रमिक की वृद्धि, आदेश जारी होने के दिनांक से करता है. मासिक पारिश्रमिक की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी) 21-2009-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो) 2013.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2009 द्वारा नियुक्त श्री हरिराम गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, जिला दतिया के कार्यकाल दिनांक 22 नवम्बर 2012 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 23 नवम्बर 2012 से दिनांक 22 नवम्बर 2014 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुनर्नियुक्त इस शर्त के अधीन की जाती है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. श्री हरिराम गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, जिला दतिया किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं रहेंगे.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-21-ब(दो), दिनांक 24-4-2008 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदागियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी) 24-2013-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो) 2013.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार दतिया जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता को जिला दतिया में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल

उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-21-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों के स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(बी) 31-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जुलाई 2005 के द्वारा श्री विजय कुमार सराफ, अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, इन्दौर के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री विजय कुमार सराफ, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, इन्दौर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण, उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी) 38-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2004 के द्वारा श्री एच. एल. झा, अधिवक्ता को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, भोपाल के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री एच. एल. झा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, भोपाल की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण, उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी) 41-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2011 द्वारा नियुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला सतना का कार्यकाल दिनांक 21 फरवरी 2012 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 22 फरवरी 2012 से दिनांक 21 फरवरी 2015 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन पुनर्नियुक्त करता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीपः—श्री राघवेन्द्र सिंह की जन्मतिथि 05-05-1965 (पांच मई उन्नीस सौ पैंसठ) है और उनकी आयु दिनांक 04 -05-2027 (चार मई दो हजार सत्ताईस) को 62 वर्ष पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-7-33-2001-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्याधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:—

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. श्री शंकर लालवानी | - अध्यक्ष |
| 2. स्त्री ललित पोरवाल | - उपाध्यक्ष |
| 3. हरिनारायण यादव | - उपाध्यक्ष |
| 4. श्री मोहित वर्मा | - उपाध्यक्ष |
| 5. श्रीमती सीतादेवी खण्डेलवाल | - सदस्य |
| 6. श्री राजेश उदावत | - सदस्य |
| 7. श्री विजय मालानी | - सदस्य |
| 8. श्री वीरेन्द्र ब्यास | - सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-24-01-2012-बत्तीस-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28(1) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कायक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:—

स.क्र.	जिला	अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/शाहपुर.
2.	सिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी (शहर)/सिवनी (ग्रामीण)/बरघाट/ केवलारी/ लखनादौन/घंसौर.
3.	छिन्दवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा/परासिया/जुन्नादेव/अमरवाड़ा/चौरई/सौंसर/पांडुर्णा.
4.	दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. शेटे, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 1(ए) 163-1994-ब-2-दो.—श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से दिनांक 1 जनवरी 2014 तक 10 दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञापित अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत गोवा-पणजी जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. श्री पंकज श्रीवास्तव | — स्वयं |
| 2. श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव | — पत्नी |
| 3. कु. श्रेया श्रीवास्तव | — पुत्री |
| 4. कु. परी श्रीवास्तव | — पुत्री |
| 5. विमला देवी | — माता |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज, रीवा द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर का कार्यभार ग्रहण पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-1(ए) 267-1986-ब-2-दो.—श्री यू. के. लाल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 सितम्बर 2013 से दिनांक 8 अक्टूबर 2013 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, 09 एवं 10 अक्टूबर 2013 के विज्ञापित अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री यू. के. लाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री महान भारत सागर, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू. के. लाल, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 25-70-2003-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची के कालम 2 में दर्शायी गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, उन वनखण्डों, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 के तहत कार्यवाही जारी है, के लिए कालम 3 में दर्शाये गये अधिकारियों के स्थान पर कालम 4 में दर्शाये गये अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है:—

अनुसूची

क्र.	वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	वन व्यवस्थापन अधिकारी	वन व्यवस्थापन अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्र. डी-2861-2309-07-दस-3, दिनांक 3-8-2007.	श्री ओ. एस. खानवे, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरवाड़ा.
2	क्र. एफ-25-2-08-दस-3, दिनांक 4-3-2008.	श्री के. डी. मिश्रा, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला सतना.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रघुराजनगर
3	क्र. डी-2019-1238-07-दस-3, दिनांक 30-3-2007.	श्री हरिहरप्रताप सिंह चौहान, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला गुना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चाचौड़ा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामौगढ़.
4	क्र. 1045-851-08-दस-3, दिनांक 24-3-2008.	श्रीमती उर्मिला चौरसिया, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला नीमच.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच
5	क्र. 2861-2309-07-दस-3, दिनांक 3-08-2007.	श्रीमती विमला जैन, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला रायसेन.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गैरतगंज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेगमगंज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली.

6 क्र. 1292-997-07-दस-3, दिनांक 28-03-2007.	श्री ए. ए. खान, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला सागर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रहली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवरी
5 क्र. डी-2873-2390-07-दस-3, दिनांक 3-08-2007.	श्री एस. आर. उईके, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला सिवनी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लखनादौन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 25-70-2003-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-70-2003-दस-3, दिनांक 4 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal, the 4th October 2013

No. F-25-70-2003-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby partially amends the notifications mentioned in column 2 of the Schedule below for the settlement of the forest block for which the proceeding is on under Section 5 to 19 of the Indian Forest Act, 1927 and appoints the officers mentioned in column 4, in place of the officers mentioned in column 3, to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :—

SCHEDULE

No.	Notification Number and date of Appointment of Forest Settlement Officer	Forest Settlement Officer	Forest Settlement Officer
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. D-2861-2309-07-X-3 dated 03-08-2007.	Shri O. S. Khanwe, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Chhindwara.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Chhindwara. Sub-Divisional Officer (Revenue), Sausar. Sub-Divisional Officer (Revenue), Amarwara.
2	No. F-25-2-2008-X-3 dated 04-03-2008.	Shri K. D. Mishra, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Satna.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Raghurajnagar.
3	D-2019-1238-07-X-3 dated 30-03-2007.	Shri Hari Har Pratap Singh Chouhan, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Guna.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Guna. Sub-Divisional Officer (Revenue), Chachora. Sub-Divisional Officer (Revenue), Raghogarh.

(1)	(2)	(3)	(4)
4	No. 1045-851-08-X-3, dated 24-03-2008.	Smt. Urmila Chorasaya, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Neemuch.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Neemuch.
5	No. D-2861-2309-07-X-3, dated 03-08-2007.	Smt. Vimla Jain, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Raisen.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Raisen. Sub-Divisional Officer (Revenue), Gairatganj. Sub-Divisional Officer (Revenue), Begamganj. Sub-Divisional Officer (Revenue), Bareli.
6	No. 1292-997-07-X-3, dated 28-03-2007.	Shri A. A. Khan, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Sagar.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Sagar. Sub-Divisional Officer (Revenue), Banda. Sub-Divisional Officer (Revenue), Rehli. Sub-Divisional Officer (Revenue), Khurai Sub-Divisional Officer (Revenue), Deori.
7	No. 2873-2390-07-X-3, dated 03-08-2007.	Shri S. R. Uikay, Retired Deputy Collector, Forest Settlement Officer, District Seoni.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Lakhanadon. Sub-Divisional Officer (Revenue), Seoni.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASANT KUMAR, Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 17(ई) 83-3960-03-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि “मध्यप्रदेश राजपत्र” में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 6, 28, 57, 64, 69, 84, 95 एवं 109 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	अनूपपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर कोतमा एवं राजेन्द्र ग्राम का विद्युत् क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
6	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद	कन्नौद एवं खातेगांव का विद्युत क्षेत्र
57	मंदसौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	सिविल जिला मंदसौर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 58 एवं 59 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
64	नरसिंहपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
69	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई	पवई का विद्युत् क्षेत्र
84	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 84-ए, 85 एवं 85-ए में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
95	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर	आगर का विद्युत क्षेत्र
109	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरोंज.	सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी का विद्युत क्षेत्र''

टिप्पणी :— विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-3960-03-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83/03/21-B(One), dated 16th September, 2010, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" Dated 24th September, 2010 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial numbers 3, 6, 28, 57, 64, 69, 84, 95 and 109 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Anuppur	1st Additional Sessions Judge, Anuppur	Electricity Area of Anuppur, Kotma and Rejendragram.
6	Balaghat	IInd Additional Sessions Judge, Balaghat.	All Electricity Area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 7).

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod	Electricity Area of Kannod & Khategaon.
57	Mandsaur	IIIrd Additional Sessions Judge, Mandsaur.	All Electricity Area of Civil District Mandsaur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 58 & 59).
64	Narsinghpur	IIInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	All Electricity Area of Civil District Narsinghpur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 65).
69	Panna	Additional Sessions Judge, Pawai	Electricity Area of Pawai
84	Satna	IVth Additional Sessions Judge, Satna	All Electricity Area of Satna Rural of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 84-A, 85 & 85-A).
95	Shajapur	Additional Sessions Judge, Agar	Electricity Area of Agar
109	Vidisha	Additional Judge to Additional Sessions Judge, Sironj.	Electricity Area of Sironj, Kurwai & Lateri

Note :—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-3959-3960-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 6, 28, 57, 64, 69, 82, 84, 95, 109 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनूपपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री सनत कुमार कश्यप, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.
6	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	श्री बी.पी. मरकाम, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद	श्री दीपक गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद, देवास.
57	मंदसौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	श्रीमती प्रवीणा व्यास, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.
64	नरसिंहपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर	कु. कल्पना उपाध्याय, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
69	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई	श्री शमरोज खान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई, पन्ना.
82	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली	श्री देवराज बोहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली सागर.
84	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्री उमेश पांडव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
95	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर	श्री यशवंत परमार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर, शाजापुर.
109	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरोंज.	श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि.), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरोंज, विदिशा."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(One)-3960-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B (1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, Dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 3, 6, 28, 57, 64, 69, 82, 84, 95 and 109 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
“3	Anuppur	Ist Additional Sessions Judge, Anuppur	Shri Sanat Kumar Kashyap, Ist Additional Sessions Judge, Anuppur.
6	Balaghat	IInd Additional Sessions Judge, Balaghat.	Shri B. P. Markam, IInd Additional Sessions Judge, Balaghat.
28	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod	Shri Deepak Gupta, Additional Sessions Judge, Kannod, Dewas.
57	Mandsaur	IIIrd Additional Sessions Judge, Mandsaur.	Smt. Praveena Vyas, IIIrd Additional Sessions Judge, Mandsaur.
64	Narsinghpur	IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	Ku. Kalpana Upadhyay, IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
69	Panna	Additional Sessions Judge, Pawai	Shri Shamroj Khan, Additional Sessions Judge, Pawai, Panna.
82	Sagar	Additional Sessions Judge, Rehli	Shri Devraj Bohre, Additional Sessions Judge, Rehli Sagar.

(1)	(2)	(3)	(4)
84	Satna	IVth Additional Sessions Judge, Satna	Shri Umesh Pandav, IVth Additional Sessions Judge, Satna.
95	Shajapur	Additional Sessions Judge, Agar	Shri Yashwant Parmar, Additional Sessions Judge, Agar
109	Vidisha	Additional Judge to Additional Sessions Judge, Sironj.	Shri Ashok Kumar Sharma (JR), AJ to ASJ Sironj”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-11-12--2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-12-2013-तीस, दिनांक 22 जुलाई 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में प्राप्त आपत्ति का निराकरण उनके पत्र क्र. 2375, दिनांक 1 अक्टूबर 2013 द्वारा किया गया. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारकों को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	विदिशा	सिरोंज	वेरेन्डा	अंग्रेजों की कब्रें	प.ह.नं. 09/38	33(खसरा) 11.988 (रकबा का क्षेत्र 0.100 हे.)	मध्यप्रदेश शासन	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	गुना	गुना	बजरंगढ़	राजमहल सोबत बजरंगढ़	606	0.282	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	बिलहरी	तपसी मठ के समीप स्थित छत्री समूल (क्र.1,2,3).	ख.नं.1206	18.04	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	बिलहरी	नदी के रपट के पास स्थित मंदिर.	ख.नं. 1248	1.06	भूमि स्वामी	नहीं
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	बिलहरी	छत्रियों के पास स्थित मंदिर.	ख.नं. 1272/से 20 तक	0.94	भूमि स्वामी	नहीं
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	बिलहरी	शास. स्कूल परिसर में स्थित मंदिर समूह क्र. 1,2,3.	ख.नं. 1316	4.960	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	बिलहरी	थाना परिसर में स्थित भग्नावशेष	ख.नं. 1171/	1.31	शासकीय आबादी म. प्र.शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	बिलहरी	थाने के पास स्थित शिवमंदिर.	ख.नं. 1171/	1.31	शासकीय आबादी म. प्र.शासन.	है
मध्यप्रदेश	कटनी	रीठी	चिखला	काम कंडला मंदिर	ख.नं. 380	46.11	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	ग्राम-बेहटी	बेहटी मठ	ख.नं. 109	425.072	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	जागेश्वरी देवी चन्देरी	सागर छत्री	ख.नं. 807	0.219	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	पुरानी कचहरी	ख.नं. 789	0.042	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	नृसिंह मंदिर	ख.नं. 792	0.657	मध्यप्रदेश शासन.	है
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	परमेश्वरा ताल चन्देरी	भारत शाह की छत्री	ख.नं. 604	0.084	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	परमेश्वरा ताल चन्देरी	देवी सिंह की छत्री	ख.नं. 607	0.021	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	अनिरुद्ध सिंह की छत्री.	ख.नं. 609/1016	0.021	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	धुबया तालाब चन्देरी	बहादुर जू. (दुर्जन सिंह की छत्री).	ख.नं. 858	0.125	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	हरकुण्ड की छत्री.	ख.नं. 925	0.146	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	पंचमढ़ी बावड़ी मस्जिद	ख.नं. 131, 132, 133.	0.031, 0.63 042 हे.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	काला पहाड़ चन्देरी	काले सैय्यद का मकबरा.	ख.नं. 770	3.753	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	धुबया तालाब चन्देरी.	सूफी संत का मकबरा.	ख.नं. 914	1.118	भूमिस्वामी	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	अट खम्ब चन्देरी.	शेखों का मकबरा.	ख.नं. 76	1.359	मध्यप्रदेश शासन.	है
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	दिल्ली दरवाजा	ख.नं. 760	0.219	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	खिलजी सराय दरवाजा.	ख.नं. 10	77.633	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	मेला ग्राउण्ड चन्देरी.	मदरसा दरवाजा	ख.नं. 186	8.883	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	ग्राम-फतेहाबाद	कुर्बानी चबुतरा	ख.नं. 05/01/01	48.537	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	ऊंटसार	ख.नं.787	0.167	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	ग्राम-फतेहाबाद	सुल्तानिया मस्जिद	ख.नं. 313	1.035	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	हौज खास चन्देरी	झलारे के मझार-2 झलारे के मझार-1	ख.नं. 575, 557	0.073, 0.460 हे.	मध्यप्रदेश शासन भूमिस्वामी	नहीं नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	गोल वाबड़ी मस्जिद	ख.नं.896 888	0.031, 11.756 हे.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	हंसों की छत्री	ख.नं. 167	0.805	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	सूफी दरवाजा	ख.नं. 770	3.753	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	हौज खास चन्देरी	छत्री हौज खास	ख.नं. 195	0.533	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	मूसा बावड़ी	ख.नं.734	5.497	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	चकले की खिड़की (खारी बावड़ी)	ख.नं.790	1.965	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	काजी बावड़ी	ख.नं. 18,19	0.084 0.073	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	ग्राम- फतेहाबाद	आलिया मस्जिद	ख.नं. 5/1/2	135.378	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	दरगाह मरूहम शाह बिलायत परिसर चन्देरी.	सूफी मकबरा खानकाह	ख.नं. 624	0.303	भूमिस्वामी	नहीं
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	ग्राम- फतेहाबाद	आलिया बावड़ी	ख.नं. 412	0.021	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	छतरपुर	लौड़ी	बंजारी	पुरातत्व स्मारक सूर्य मंदिर	ख.नं. 86	1.718	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	दतिया	दतिया	ग्राम चंकचंदैया	बावड़ी प्राचीन	ख.नं. 87	0.022	मध्यप्रदेश शासन.	है
मध्यप्रदेश	दतिया	दतिया	ग्राम सिरौल	बावड़ी देवस्थान	ख.नं. 1307, 1308, 1309	0.16, 0.14 0.17 कुल 0.47 है.	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं
मध्यप्रदेश	दतिया	दतिया	अस्पताल परिसर के अन्दर	प्राचीन बावड़ी	ख.नं. 1271	0.089	भूमि स्वामी	नहीं
मध्यप्रदेश	दतिया	इंदरगढ़	खरौआ	बेटी कुन्जा देवी मंदिर.	ख.नं. 48	1.070	मध्यप्रदेश शासन.	है

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 100 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म. प्र., भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

विनोद कट्टेला, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 6880-2913-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-कार्यालय संगठन तथा प्रक्रिया, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
---	-------------------------	-----------------------

इंदौर संभाग

2	श्री दीपक परमार	कराधान सहायक
3	श्रीमती प्रियंका बारगल	कराधान सहायक
4	कु. रश्मि कसेरा	कराधान सहायक
5	श्री राजकुमार पाण्डेय	कराधान सहायक
6	श्री अरूण कुमार कैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	श्रीमती अमृता श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	कु. प्रीति बरूआ	कराधान सहायक
9	कु. स्वीटी पराते	कराधान सहायक

भोपाल संभाग

10	कु. संगीता पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्रीमती मोनिका अलावा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री मनीष महारणवर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्रीमती सुषमा शर्मा	कराधान सहायक
14	कु. ज्योति ब्रह्म	कराधान सहायक
15	श्रीमती ऋतु द्विवेदी चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी

जबलपुर संभाग

16	श्री सुखदेव सिंह वरकडे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	कु. कीर्ति सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री नीलेश भूमरकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1) (2) (3)

निम्नस्तर रीवा संभाग

1	श्री विजय कुमार द्विवेदी	कराधान सहायक
2	श्री प्रसन्न कुमार जैन	कराधान सहायक
3	कु. पूर्ती पाठक	कराधान सहायक

इंदौर संभाग

4	कु. रीना चौहान	कराधान सहायक
5	सुश्री शिल्पी अग्रवाल	कराधान सहायक
6	श्री फरजान साहिल खान	कराधान सहायक
7	श्री राजीव परिहार	वाणिज्यिक कर अधिकारी
8	श्री देवेन्द्र पंत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री ओमप्रकाश खाण्डे	कराधान सहायक
10	श्री ललितेश सिंह नायक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री प्रशान्त आर्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री सुनील जाट	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्री चन्दर सिंह जामोद	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	श्री अभिनन्दन चौधरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री जेनुलउद्दीन शेख जिलानी	कराधान सहायक
16	डॉ. अरविन्दर कौर गांधी	कराधान सहायक
17	श्री रंजीत हरित	कराधान सहायक
18	श्री विरेन्द्र मुवेल	कराधान सहायक
19	श्री रामेश्वर चौहान	कराधान सहायक
20	सुस्त्री सीमा त्रिपाठी	कराधान सहायक
21	सुश्री नीलम गणावा	कराधान सहायक
22	श्री राजेश चौहान	कराधान सहायक
23	श्री रामसिंह सस्तियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री सुजान वास्केल	कराधान सहायक
25	सुश्री हेमलता बरोनिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
26	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

भोपाल संभाग

27	श्री संजय कुमार केशरवानी	कराधान सहायक
28	श्री विजय कुमार रघुवेशी	कराधान सहायक
29	श्री रामकुमार गौड़	कराधान सहायक
30	श्री यशपाल मुजाल्दा	कराधान सहायक
31	श्री राजेन्द्र नागले	कराधान सहायक
32	श्री कृष्ण कुमार सिंह	कराधान सहायक
33	श्री राजेश मालवीय	कराधान सहायक
34	श्रीमती प्रीति राठौर	कराधान सहायक
35	श्रीमती रितु ठाकुर	कराधान सहायक
36	श्री वरूण केवलरामानी	कराधान सहायक
37	श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
ग्वालियर संभाग			11	श्री रमेश चन्द्र ठाकुर	कृषि विकास अधिकारी
38	श्री बृजेश नारायण चतुर्वेदी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	12	श्री रामेश्वर चौहान	कृषि विकास अधिकारी
जबलपुर संभाग			13	श्री दिनेश मण्डलोई	कृषि विकास अधिकारी
39	श्री विवेक सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	14	श्री अनिल कुमार निगम	कृषि विकास अधिकारी
38	सुश्री रंजीता जैन	कराधान सहायक	होशंगाबाद संभाग		
39	श्री शरद कुमार राय	कराधान सहायक	15	श्री रामकुमार उइके	कृषि विकास अधिकारी
40	श्री विनय कुमार कोल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	16	श्री रमेश भास्कले	कृषि विकास अधिकारी
41	श्री योगिराज इड़पाचे	कराधान सहायक	उज्जैन संभाग		
42	वीरेन्द्र कुमार निगम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	17	श्री बबलू शाक्य	कृषि विकास अधिकारी
43	श्री आराधना पाण्डेय	कराधान सहायक	18	श्री दिनेश कुमार परमार	कृषि विकास अधिकारी
44	श्री प्रदीप खम्परिया	कराधान सहायक	सागर संभाग		
45	कु. श्रद्धा गोल्हानी	कराधान सहायक	19	श्री नरेश सिंह अटल	कृषि विकास अधिकारी
46	श्री सचिन कुमार जायसवाल	कराधान सहायक	ग्वालियर संभाग		
47	श्री विनय कुमार त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	20	श्री शिवसिंह किरार	कृषि विकास अधिकारी
48	सुश्री ज्योति रानी ब्रम्हे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर		
49	श्री मोहम्मद शकील अंसारी	कराधान सहायक	उज्जैन संभाग		
50	श्री आशिष कुमार साखरे	कराधान सहायक	1	श्री कालूसिंह वसुनिया	कृषि विकास अधिकारी
51	श्री कृपा शंकर सिंह	कराधान सहायक	2	श्री दिनेश भावसार	
<p>क्र. 6882-2930-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—</p>					
अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम			
(1)	(2)	(3)			
उच्चस्तर					
इंदौर संभाग					
1	श्री संदीप कुमार परमार	कृषि विकास अधिकारी	3	श्री विक्रम सिंह रावत	कृषि विकास अधिकारी
2	श्री राजेश बर्मन	कृषि विकास अधिकारी	4	श्री शान्तिलाल अलावा	कृषि विकास अधिकारी
3	श्री राकेश मण्डलोई	कृषि विकास अधिकारी	5	सुश्री अनिता बरडे	कृषि विकास अधिकारी
4	श्री ज्ञानसिंह सांलकी	कृषि विकास अधिकारी	6	श्री मेहताब सिंह चौहान	कृषि विकास अधिकारी
5	श्री रोहित अलावे	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	7	श्री सुनिल सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी
6	श्री गोविन्द पटेल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	8	श्री प्रमसिंह ओहरिया	कृषि विकास अधिकारी
7	श्री हरेसिंह डावर	कृषि विकास अधिकारी	9	श्री बबलू सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी
8	श्री लोकेन्द्र सिंह मण्डलोई	कृषि विकास अधिकारी	10	श्री दिलीप सिंह रावत	कृषि विकास अधिकारी
9	श्री करण सिंह जाधव	कृषि विकास अधिकारी	ग्वालियर संभाग		
10	श्री अनिल सिंह अवास्या	कृषि विकास अधिकारी	11	श्री राजेश कुमार माहौर	कृषि विकास अधिकारी
शहडोल संभाग					
12	श्री रामाधार सिंह मरावी	कृषि विकास अधिकारी			

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

सागर संभाग

13	श्री मधुसूदन दीवान	कृषि विकास अधिकारी
14	श्री बीरेन्द्र लाल प्रजापति	कृषि विकास अधिकारी
15	श्री हरिराम कोरी	कृषि विकास अधिकारी
16	श्री सुरत राम आर्य	कृषि विकास अधिकारी
17	श्री सुधर सिंह जाटव	कृषि विकास अधिकारी

क्र. 6884-2919-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

उच्चस्तर
इंदौर संभाग

1	श्री बबलू सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी
2	श्री अनिल कुमार निगम	कृषि विकास अधिकारी
3	श्री दिनेश मण्डलोई	कृषि विकास अधिकारी
4	श्री संदीप कुमार परमार	कृषि विकास अधिकारी
5	श्री राकेश मण्डलोई	कृषि विकास अधिकारी
6	श्री ज्ञानसिंह सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी
7	श्री गोविन्द पटेल	वरिष्ठ उद्यान वि. अधि.
8	श्री हरेसिंह डावर	कृषि विकास अधिकारी
9	श्री लोकेन्द्र सिंह मण्डलोई	कृषि विकास अधिकारी
10	श्री करण सिंह जाधव	कृषि विकास अधिकारी
11	सुश्री अनिता बरडे	कृषि विकास अधिकारी
12	श्री रमेश चन्द्र ठाकुर	कृषि विकास अधिकारी
13	श्री सुनिल सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी
14	श्री दिलीप सिंह रावत	कृषि विकास अधिकारी

होशंगाबाद संभाग

15	श्री रामकुमार उइके	कृषि विकास अधिकारी
16	श्री रमेश भास्करले	कृषि विकास अधिकारी

उज्जैन संभाग

17	श्री बबलू शाक्य	कृषि विकास अधिकारी
18	श्री दिनेश कुमार परमार	कृषि विकास अधिकारी
19	श्री कालु सिंह वसुनिया	कृषि विकास अधिकारी
20	श्री दिनेश भावसार	कृषि विकास अधिकारी

शहडोल संभाग

21	श्री रामाधार सिंह मरावी	कृषि विकास अधिकारी
----	-------------------------	--------------------

सागर संभाग

22	श्री हरिराम कोरी	कृषि विकास अधिकारी
23	श्री नरेश सिंह अटल	कृषि विकास अधिकारी
24	श्री मधुसूदन दीवान	कृषि विकास अधिकारी
25	श्री वीरेन्द्र लाल प्रजापति	कृषि विकास अधिकारी

ग्वालियर संभाग

26	श्री राजेश कुमार माहौर	कृषि विकास अधिकारी
27	श्री शिवसिंह किरार	कृषि विकास अधिकारी

निम्नस्तर

सागर संभाग

1	श्री सुरत राम आर्य	कृषि विकास अधिकारी
2	श्री सुधरसिंह जाटव	कृषि विकास अधिकारी

इंदौर संभाग

3	श्री विक्रम सिंह रावत	कृषि विकास अधिकारी
4	श्री शान्तिलाल अलावा	कृषि विकास अधिकारी
5	श्री राजेश बर्मन	कृषि विकास अधिकारी
6	श्री मेहताव सिंह चौहान	कृषि विकास अधिकारी
7	श्री रोहित अलावे	कृषि विकास अधिकारी
8	श्री प्रमसिंह ओहरिया	कृषि विकास अधिकारी
9	श्री अनिल कुमार अवास्या	कृषि विकास अधिकारी
10	श्री रामेश्वर चौहान	कृषि विकास अधिकारी

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर/ 10 अक्टूबर 2013

क्र. 6502-2902-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क, आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1	श्री ओम प्रकाश चोरमा	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
2	श्री विजय मैड़ा	आबकारी उप निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
3	श्री प्रवेश कुमार मिश्रा	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
4	कु. मोना दुबे	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
5	श्री दिलीप कुमार भादे	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
6	श्री राजेश सिंघल	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
7	श्री द्रगचन्द्र चतुर्वेदी	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
8	श्री दीपक नायक	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
9	श्री रवीन्द्र कुमार जैन	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
10	श्री सतीश जैन	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
11	श्री संतोष कुमार यादव	आबकारी उप निरीक्षक
12	श्री हनुमान सिंह चौहान	आबकारी उप निरीक्षक
13	श्री वासुदेवाचार्य त्रिपाठी	आबकारी उप निरीक्षक
14	श्री नीरज कुमार दुबे	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
15	श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन	आबकारी उप निरीक्षक
16	श्री लक्ष्मीकांत रामटेके	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
17	श्री घन्सू लाल मरावी	आबकारी उप निरीक्षक
18	श्री प्रवीण रतन वरकडे	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
19	श्री इन्द्रपाल सिंह बालके	आबकारी उप निरीक्षक
20	श्री हसन लाल गोहिया	आबकारी उप निरीक्षक
21	श्री विवेक सक्सेना	आबकारी उप निरीक्षक
22	श्री लोकेश सिंह ठाकुर	आबकारी उप निरीक्षक
23	श्री केशव प्रसाद उईके	आबकारी उप निरीक्षक
24	श्री शिवदत्त सिंह	आबकारी उप निरीक्षक
25	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
26	श्री कृष्ण कुमार पटेल	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)
27	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. सह. अधि.-स्था.13-235.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय, 2000 के विनिमय क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय इंदौर में माननीय अध्यक्ष श्री एन. डी. पटले एवं मान. सदस्य श्री गिरीश ताम्हणे, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 25 अक्टूबर 2013 (शुक्रवार) को नियत की गई है. उक्त दिनांक को पेशी स्थान कमिश्नर इंदौर संभाग इंदौर के कार्यालय में समय सुबह 11.00 से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

संजय नायक, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश

मन्दासौर दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 1430-सा.लेख-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(4) 15/99-बी-3-दो, दिनांक 11-10-2004 तथा दिनांक 30-7-2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 1-10-2013 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (02) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:—

क्रमांक	राजस्व ग्राम/ क्षेत्र का नाम	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार	थाना/चौकी क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
	स्तंभ क्रमांक-1	स्तंभ क्रमांक-2	स्तंभ क्रमांक-3
1	साबाखेडा	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दासौर
2	रूपावली	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दासौर
3	मुन्दडी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दासौर
4	डोडियामीणा	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दासौर

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
5	भूखी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	40	शाक्ति नगर	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
6	बोरखेडा	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	41	स्नेह नगर	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
7	जग्गाखेड़ी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	42	आक्या फत्तू	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
8	ढिकोला	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	43	बहादरी	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
9	उदपुरा	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	44	टोडी	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
10	लब्डी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	45	छाजूखेडा	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
11	चिखलिया	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	46	आदीनाथ विहार	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
12	अलावदाखेडी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	47	चौधरी कालोनी	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
13	दमदम	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	48	इन्द्रा नगर	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
14	सेमली	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	49	कोठारी कालोनी	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर
15	हासली	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	50	दलोदा	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
16	इटायली	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	51	दलोदा सगरा	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
17	चांगली	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	52	निरधारी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
18	अरनिआ	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	53	टोलखेड़ी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
	निजामुद्दीन			54	पिपलिया मुजावर	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
19	बाजखेडी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	55	निम्बाखेडी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
20	पानपुर	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	56	बानीखेड़ी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
21	बोराखेड़ी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	57	एलची	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
22	नाहर सैयद	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	58	नाईखेडी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
23	पटेल नगर	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	59	नगरी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
24	हाजी कॉलोनी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	60	लसुडिया ईला	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
25	बापूनगर	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	61	गुराडिया शाह	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
26	संजीत नाका	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	62	कचनारा	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
27	रितुराज कॉलोनी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	63	सरसौद	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
28	राजीव कॉलोनी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	64	आक्या	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
29	नवकार सिटी	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	65	उमहेड़ा	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
30	कैलाश नगर	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	66	लखमाखेडी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
31	लक्ष्मी नगर	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	67	पटेला	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
32	अंशुल विहार	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	68	लालाखेडी	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
33	संजय हिल्स	यशोधर्मन नगर	नई आबादी मन्दसौर	69	रिछालाल मुआ	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
34	अभिन्दन नगर	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर	70	अमलावद	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
35	मिड इंडिया	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर	71	सेमलिया हीरा	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
36	शांतनु विहार	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर	72	पाडलिया लालमुहा	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
37	पद्ममावती	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर	73	दलोदा रेल	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
38	बुरहानी नगर	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर	74.	फतेहगढ़	थाना भावगढ़	चौकी दलोदा
39	अग्रसेन नगर	कोतवाली	नई आबादी मन्दसौर				

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र.168-स्था. निर्वा.-मण्डी उप निर्वा.-2013.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुरा के वार्ड क्र. 1 के निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्र.	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विक्रम सिंह आत्मज चूरामन सिंह	कृषक सदस्य	निवासी ग्राम शहपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 1493-मण्डी निर्वाचन-13.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में विपणन सहकारी संस्थाओं की ओर से निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित किये जाते हैं:—

क्र.	नाम कृषि उप मण्डी समिति जिसके लिये प्रतिनिधि नामांकित किए गये हैं	नाम निर्देशित करने वाले व्यक्ति, संस्था का नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हाटपिपल्या	प्रबंधक, हाटपिपल्या सहकारी विपणन समिति मर्या., हाटपिपल्या.	श्री विजेन्द्र सिंह पिता श्री यशवन्तसिंह पटेल, निवासी हाटपिपल्या.
2	बागली	प्रबंधक, बागली सहकारी विपणन समिति मर्या, बागली.	श्री रामसिंह नाथुसिंह, ग्राम गुनेरा, तहसील बागली.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

बालाघाट, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 7823-सा.लि.-2013.—विषयांकित सन्दर्भित प्रस्ताव के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार कलेक्टर समिति को दिया गया है. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा-2 खण्ड (एस) के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के (1) नवीन पुलिस चौकी किन्ही, (2) पुलिस चौकी गोदरी एवं (3) राजकीय मार्ग पर सुरक्षा सहायता केन्द्र हेतु थाना वारासिवनी के ग्राम गर्रा में नवीन पुलिस चौकी घोषित की जाती है.

उक्त पुलिस चौकी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय ग्रामों की सारणी निम्नानुसार है:—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	पुलिस चौकी "किन्ही" का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश.)	किन्ही
2	— " —	कलकत्ता

(1)	(2)	(3)
3	थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश.)	न्यू बाम्बे
4	—''—	देवटोला
5	—''—	आलीटोला
6	—''—	बटामा
7	—''—	चतरूटोला
8	—''—	कोदोबर्वा
9	—''—	नम्बर टोला
10	—''—	बोरबन
11	—''—	कन्दरा

2. थाना हट्टा, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश)

1	गोदरी पुलिस चौकी	गोदरी
2	—''—	मड़का मंडई
3	—''—	नवेगांव
4	—''—	करियादण्ड
5	—''—	कोठियाटोला
6	—''—	मानागड़
7	—''—	डोंगरगांव
8	—''—	बटकरी
9	—''—	भानपुर
10	—''—	भगतपुर
11	—''—	असरमा
12	—''—	लट्टीटोला
13	—''—	नीला
14	—''—	सोनपुरी
15	—''—	वंजीपार

3. जिला बालाघाट में यातायात पुलिस बल में वृद्धि करते हुए राजकीय मार्ग पर सुरक्षा सहायता केन्द्र हेतु थाना वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट के ग्राम गर्रा में "नवीन पुलिस चौकी" जहां से राज्य मार्ग-26 जाता है, पर यातायात पुलिस चौकी घोषित की जाती है.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. क्यू. निर्वा.-मण्डी-25-6-59-2013.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 240 भितरवार के लिये निम्नानुसार सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्र.	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हिमांशु रावत	कृषक सदस्य	121-ग्राम रिछैरा, पोस्ट मऊछ, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर.

स्थान : ग्वालियर

तारीख

पी. नरहरि, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. 510-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

मकान का वर्णन				धारा 4 (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सेमल्दा	1100	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि. मान जोबट संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से).

नोट :—मकान के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 12995-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	घटबोरी चिजवॉ	1.613 0.292	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	थाना तालाब के नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-204.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	बिनाया शंभुपुरा	0.180 0.225	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, उज्जैन.	पोलायकलॉ-रनायल मार्ग में नेवज नदी पर सेतु निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 7 सितम्बर 2013

पत्र क्र. 2032-स्था.-2013-शुद्धि-पत्र.—कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1033-भू-अर्जन-नहर-2013, दिनांक 15 मई 2013, प्रकरण क्र. 78-अ-82-2012-13 ग्राम दमदमी, तहसील राजपुर, प.ह.नं. 37, जिला बड़वानी के संदर्भ में :—

उद्घोषणा का सरल क्रमांक	पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
01	112/1 119/2	0.250	112/1	0.250

शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

बड़वानी, दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 94-अ-82-2012-13-क्र. 10163-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	गोठान्या	शासकीय बैड़ी मद की भूमि 270.63 वर्ग मी. में स्थित परिसंपत्तियां निजी-मकान-7. (शा.भूमि छोड़कर)	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./शहीद भीमा नायक सागर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 95-भू-अ-82-2012-13-क्र. 10162-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	गोठान्या	0.670	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./शहीद भीमा नायक सागर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 2244-स्था.-2013-शुद्धि-पत्र.—कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1432-भू-अर्जन-नहर-2013, दिनांक 25 जून 2013, प्रकरण क्र. 45-अ-82-2012-13 ग्राम तलवाडा बुजुर्ग (तहसील बड़वानी), जिला बड़वानी के संदर्भ में :—

उद्घोषणा का सरल क्रमांक	पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
47	157/7, 158/5, 158/6	0.0697	157/7, 158/5, 158/6	0.067

शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियाँ यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 20 से 26-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
विदिशा	बासौदा	सरवाय	0.700	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	देवली से बरेठ-ठरका-टीकोद मार्ग में निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन बावत्,
		ठरका	0.358		
		बरेठ	1.075		
		बघरू	0.239		
		टीकोद	1.300		
		खिरिया	0.786		
		इमलिया	1.735		
		योग . .	6.193		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—देवली से बरेठ-ठरका-टीकोद मार्ग में निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 19-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	बासौदा	उदयपुर	0.338	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा.	ग्राम उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग के दोनों ओर 50-50 फीट आवासीय सह दुकानों का बासौदा बरेठ उदयपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अंतर्गत शासकीय भूमि आबादी में निर्मित कच्चे/पक्के मकानों का अधिग्रहण बावत्.

योग . . 0.338

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ग्राम उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग के दोनों ओर 50-50 फीट आवासीय सह दुकानों का बासौदा बरेठ उदयपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अंतर्गत शासकीय भूमि आबादी में निर्मित कच्चे/पक्के मकानों का अधिग्रहण बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 23 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 18-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्यौंदा	खामखेड़ा	0.689	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा.	बघरूँ मध्यम-जलाशय परियोजना की दायीमुख्य नहर की माइनरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

योग . . 0.689

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम परियोजना की दायी मुख्य नहर हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 253-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गड़रिया	3.028	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, रीवा (म. प्र.).	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

प्र.क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	गरौठ	ग्राम पनवाड़ी	1.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	पनवाड़ी तालाब योजना (पुरक प्रकरण)

नोट :-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरौठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का कारण	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
खण्डवा	हरसूद	बोरीबांदरी	0.50	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग इन्दौर.	आशापुर, हरसूद, होशंगाबाद मार्ग के कि.मी. 50/4 में घोड़ापछाड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण, सेतु निर्माण संभाग इन्दौर एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 9199-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	बींझावाड़ा ब. न. 212, प. ह. नं.-14, रा. नि. मं. चौरई.	रकबा 18.750 उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 9200-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	केदारपुर खुर्द ब.न. 28, प.ह.नं.-14, रा. नि. मं. चौरई.	रकबा 05.750 उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

रा. प्र.-क्र. 15-अ-82 वर्ष 2012-13-पत्र क्रमांक-541-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	बांसखेड़ा नं. बं. 316, प.ह.नं. 74.	0.194	कार्यपालन यंत्री, रानीअवंती बाई लोधीसागर नहर संभाग क्र. 1, करेली.	बांसखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है.

रा. मा.-क्र. 16-अ-82 वर्ष 2012-13-पत्र क्र.-539-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	बम्हनी नं. बं. 365, प.ह.नं. 91.	1.679	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-660.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	पिछोर	खैरोना	59/1	0.280	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	सुनाज तालाब के नहर निर्माण हेतु.
			59/2	0.202		
			76	0.030		
			77	0.041		
			78	0.004		
			79	0.036		
			80	0.035		
			113	0.150		
			120	0.005		
			121	0.092		
			122	0.014		
			123	0.040		
			126	0.004		
योग . .				0.933		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 8800-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	शंकरपुरा	3.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म. प्र.).	शंकरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
कुल योग . .			3.120		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

पत्र क्र. 3874-भू-अर्जन-2013-14-रा.प्र.क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित

व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (वर्ग मीटर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बोरघाटा	45.65	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना मुख्य बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित.
योग . .			<u>45.65</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. क-11071-प्र.भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	(6)	(7)
सागर	केसली	वसा	4	0.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	केसली विकासखंड के अंतर्गत जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 7110-जि.भू.अ. 2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—गोरखपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.010 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि	प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
151	0.060	2 पलाश, 4 कसई, 4 बेर
143/3	0.070	3 पलाश, 2 कसई, 4 बेर
145	0.010	2 पलाश, 1 कसई, 1 बेर
144	0.400	15 पलाश, 3 कसई, 7 बेर 2 महुआ, 1 आंजन, 1 मवई
143/4	0.060	5 पलाश, 4 बेर, 2 कसई
143/5	0.010	2 पलाश, 3 बेर
120	0.030	4 पलाश, 3 बेर, 2 कसई
119	0.200	7 पलाश, 5 बेर, 1 कसई 1 महुआ
118	0.130	6 पलाश, 4 बेर, 1 कसई
116	0.030	2 पलाश, 3 बेर
115/1	0.010	4 पलाश, 1 महुआ, 3 बेर 1 कसई.
योग . .	1.010	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110-कलेक्टर-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—खामी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.640 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि	वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
9	0.230	2 बेर, 1 पलाश
8/1, 8/2	0.100	4 पलाश, 4 बेर
27/2	0.310	6 पलाश, 4 बेर, 2 कसई, 1 जामुन.
योग . .	0.640	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचना मंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110-कलेक्टर-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट

(ग) ग्राम—सरेखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.890 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अशासकीय	अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब भूमि (हेक्टर)	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
171	0.020	3 पलास, 1 आंजन, 4 बेर
114/5	0.070	4 पलास, 1 आंजन, 1 बेर
114/9	0.060	3 पलास, 2 बेर
114/10	0.010	2 पलास 1 बेर
114/6	0.080	4 पलास, 1 आंजन, 3 बेर
108	0.060	3 पलास, 2 बेर, 1 आम, 2 कसई
110/4	0.030	4 पलास, 1 कसई, 3 बेर, 2 आंजन
110/5	0.070	3 पलास, 2 बेर, 1 आंजन
111	0.190	8 पलास, 3 आंजन, 10 बेर
112	0.130	11 पलास, 9 बेर, 4 आंजन, 1 कसई
126	0.190	7 पलास, 6 बेर, 1 आंजन
84/2	0.030	3 पलास, 2 बेर, 1 आंजन
84/9	0.010	2 पलास, 1 बेर
114/1	0.030	1 पलास
114/2	0.010	1 पलास, 2 बांस
106	0.090	2 महुआ, 3 पलास, 3 बेर, 1 आंजन, 1 जामुन
131/1	0.400	12 पलास, 9 बेर, 1 महुआ, 3 कसई, 1 आंजन
84/3	0.020	2 पलास, 1 बेर
84/4	0.020	3 पलास, 2 बेर
84/5	0.020	1 महुआ, 2 पलास, 3 बेर
84/7	0.060	3 पलास, 4 बेर
84/8	0.020	1 आंजन, 3 पलास, 2 बेर
84/1	0.010	2 पलास, 1 बेर
113	0.090	2 आंजन, 3 पलास, 5 बेर
132	0.150	1 महुआ, 6 पलास, 5 बेर, 1 आंजन
130	0.010	1 पलास, 1 बेर
129/1	0.010	1 पलास.
योग . .	<u>1.890</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचना मंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—बरघाट

(ग) ग्राम—मण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.16 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि	प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
650/1	0.210	3 पलास, 1 कसई, 1 बेर
653	0.050	1 महुआ, 2 पलास
655	0.020	3 पलास, 1 कसई
656	0.010	1 महुआ, 1 छीताफल
658	0.100	1 आंजन
659	0.030	2 पलास, 2 बेर
661	0.050	2 बेर, 1 महुआ
662	0.100	2 बेर, 1 कसई
657	0.010	1 पलास
167	0.220	1 जामुन, 1 महुआ
166	0.100	3 पलास, 1 कसई, 3 बेर, 1 महुआ
627	0.060	3 पलास, 1 बेर
628	0.140	2 पलास, 1 बेर
622/2	0.070	4 पलास, 1 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन
636/1	0.070	3 पलास, 1 बेर, 2 आंजन, 1 कीन्ही
636/2		
636/3		
169	0.030	2 पलास, 2 बेर, 1 कीन्ही
175	0.110	11 बेर, 2 कसई, 1 गुरार, 4 पलास.
176/2	0.010	1 पलास
198	0.040	2 पलास, 2 बेर, 1 कीन्ही

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
199	0.080	4 पलाश, 1 बेर, 1 आंजन	413/2	0.140	4 पलाश, 6 बेर, 1 आंजन,
189/1	0.070	3 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही			1 जामुन, 1 महुआ
189/2	0.060	4 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन	413/1	0.010	1 बेर, 1 कीन्ही
196/1	0.070	2 बेर, 1 जामुन, 1 बीजा, 1 आम, 1 कुंआ	413/3 415/1	0.010	2 बेर, 1 जामुन
200/12	0.020	3 पलाश, 2 बेर, 1 कसई	416	0.010	1 जामुन
200/2	0.090	2 पलाश, 1 आंजन	427	0.010	1 बेर, 1 कीन्ही
200/3	0.050	2 पलाश, 1 जामुन	483	0.010	1 आंजन
201/1	0.060	1 जामुन, 1 बहेड़ा, 2 बेर	428	0.030	1 कीन्ही
202/2	0.100	3 पलाश, 2 बेर, 1 कसई	426/2	0.050	1 महुआ, 1 कीन्ही, 1 जामुन
203/2	0.030	2 पलाश, 2 बेर, 1 बबूल	438/3	0.050	1 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन
203/1	0.010	1 पलाश, 1 बेर, 1 कसई	438/2	0.030	2 बेर, 2 पलाश, 1 आंजन
203/3	0.040	3 पलाश, 2 बेर	438/4	0.020	4 पलाश, 2 बेर, 1 कीन्ही
203/4	0.030	2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई	484	0.090	2 पलाश, 2 बेर
951	0.140	1 महुआ, 1 हर्गा, 1 आंजन, 1 जामुन	491 485	0.060 0.060	2 पलाश, 2 बेर 2 पलाश
40/1		4 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन,	478	0.010	1 जामुन
40/15	0.200	1 महुआ	496	0.050	2 कौआ
40/14			482	0.150	1 जामुन, 1 आम, 2 बेर
754	0.020	1 आम, 1 पलाश, 1 बेर	749	0.150	4 पलाश, 1 बेर, 1 महआ
215	0.010	2 पलाश, 1 बेर	748/1	0.020	2 पलाश, 1 बेर
404	0.030	3 पलाश, 2 बेर	448/2		
755	0.070	1 जामुन, 1 आंजन, 1 बेर	853/2	0.080	2 पलाश, 2 बेर
853/8	0.100	4 पलाश, 2 बेर, 1 जामुन	853/3	0.130	3 पलाश, 2 बेर, 1 कीन्ही
214	0.060	2 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ	853/6	0.010	1 बेर, 1 कीन्ही
213	0.010	1 पलाश, 1 बेर	853/7	0.120	4 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन
211/1	0.040	2 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन	41	0.070	1 बेर, 1 कीन्ही
210	0.040	2 पलाश, 1 बेर	42	0.040	2 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ
207	0.030	2 पलाश, 1 आंजन, 1 बेर	15	0.010	1 पलाश, 1 बेर
208/1	0.030	1 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन	40/2	0.070	4 पलाश, 3 बेर
335	0.080	1 बेर, 1 कीन्ही, 1 जामुन	40/3	0.060	4 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही
337	0.010	1 जामुन, 1 बेर	36	0.030	3 आम, 1 कौआ
336	0.080	1 कुआ, 2 पलाश, 1 बेर	96	0.050	2 महुआ, 3 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही
389/1	0.080	1 कीन्ही, 1 आंजन			
389/3	0.040	2 बेर, 1 कीन्ही, 1 महुआ	37/1	0.010	1 बेर, 1 कीन्ही
390	0.030	3 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही	97/1	0.010	1 पलाश, 1 बेर
338	0.010	1 पलाश, 1 बेर	37/3	0.050	1 बेर, 1 कीन्ही
405/1	0.080		97/3	0.010	1 पलाश, 2 बेर
405/2		4 पलाश, 4 बेर	37/2	0.010	1 बेर, 1 कीन्ही
396	0.100	4 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन, 1 जामुन	97/2	0.010	2 पलाश, 1 बेर
397	0.020	2 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ	16	0.090	3 पलाश, 1 आम
409/2	0.130	1 कुआ, 4 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन	37/4 97/4	0.010 0.010	2 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही 1 बेर, 1 कीन्ही
415/2	0.050	1 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन	6 17/1	0.010 0.080	2 पलाश, 1 बेर 3 पलाश, 2 बेर, 1 महुआ

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
17/2	0.060	4 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ	725	0.280	4 पलास, 1 बेर
18	0.040	1 बहेड़ा, 1 हर्रा, 1 बेर	605/1	0.150	1 महुआ, 1 साज
19	0.010	1 बेर, 1 कीन्ही	605/2		1 बेर, 2 पालस
20	0.050	4 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ	606/4	0.090	2 पलास, 1 आंजन, 1 आम
87	0.180	1 कौआ, 1 जामुन, 3 महुआ	606/3		1 जामुन, 2 बेर
92	0.050	1 कुआ, 2 पलाश, 1 आम	606/1	0.170	1 कीन्ही, 1 आंजन
651/2	0.010	1 पलाश, 2 बेर	610		4 पलास, 2 किन्ही, 1 आंजन
414	0.010	1 आम, 1 कीन्ही	611	0.160	1 किन्ही, 3 आंजन, 1 आम
94/1	0.010	1 पलाश, 1 जामुन, 1 कीन्ही	526/2/1	0.160	3 पलास, 1 आंजन, 1 जामुन,
94/2	0.060	2 आंजन, 1 कीन्ही	527/2	0.050	1 आम, 5 बेर
909/3	0.030	2 बेर, 1 आंजन			552/1
909/4	0.090	1 कीन्ही, 2 कौआ, 2 बेर,	605/3	0.000	2 आंजन, 1 किन्ही
		3 पलाश	606/2	0.000	2 पलास, 1 आंजन, 3 बेर
			607/2	0.010	1 पलास, 3 बेर
					3 बेर, 1 किन्ही, 1 आंजन

योग . . . 6.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—काचनामंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

योग . . . 1.400

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं.—काचना मंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110-कलेक्टर-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

क्र. 7110-जि.भू.अ. 2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—पिंडरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.400 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब
अशासकीय भूमि अन्य विवरण
(हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)
730/1	0.110	2 पलास, 1 कौआ, 1 महुआ
730/2	0.010	3 पलास, 1 आंजन
723	0.050	3 पलास, 1 बेर
726	0.050	1 आम, 2 पलास
727	0.030	2 पलास, 3 आंजन, 1 बेर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—जावरकाठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.150 हेक्टर.

खसरा क्र. अर्जित रकबा प्राप्त किये जाने वाले
अशासकीय भूमि भूखण्ड में स्थित वृक्ष,
(हेक्टर में) मकान, कुंआ, तालाब
एवं अन्य विवरण

(1)	(2)	(3)
706/1	0.120	2 पलास, 1 कसई, 1 कीन्ही
706/3	0.050	1 कीन्ही, 2 पलास

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
705/1	0.010	1 पलाश, 1 कसई, 1 बेर	617/6	0.080	2 कसई, 3 बेर, 2 आंजन,
705/2	0.060	3 पलाश, 1 बेर, 1 आम			3 पलाश, 1 कुआं पक्का
705/4			617/7	0.020	1 कसई, 3 बेर, 1 पलाश
705/5	0.050	1 कसई, 2 बेर, 1 कीन्ही	510	0.160	4 पलाश, 2 आंजन, 3 बेर
700	0.130	3 पलाश, 2 बेर, 1 महुआ	508/10	0.010	1 बेर, 1 कसई
705/3	0.030	2 पलाश, 1 बेर, 1 आम	588	0.050	2 बेर, 2 पलाश
711/1	0.120	3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर, 1 महुआ, 1 जामुन	587/1	0.160	4 पलाश, 2 कसई, 4 बेर सी. क्र. 27
711/2	0.020	2 कसई, 2 बेर, 1 आंजन	587/2		
ड 2+3			577	0.030	3 बेर, 3 पलाश, 2 आंजन, 1 कसई
712/1	0.070	3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर, 3 आंजन	578	0.070	2 बेर, 1 महुआ 2 पलाश
713	0.060	4 पलाश, 2 कसई, 4 बेर	567	0.080	7 पलाश, 4 कसई, 5 बेर, 2 आंजन
703	0.030	3 आंजन, 1 बेर	569/4	0.060	2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई
706/2	0.030	1 आंजन, 1 बेर, 1 पलाश, 1 कसई	573/1	0.010	2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई
616/1	0.140	4 पलाश, 3 कसई, 4 बेर, 2 आंजन	569/3	0.050	2 पलाश, 3 बेर, 2 कसई
616/2			617/10	0.050	2 कसई, 3 बेर, 1 पलाश सी. क्र. 37 में
605/3			605/1		
603/2	0.050	2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई	609/1	0.120	4 पलाश, 2 कसई, 1 महुआ
508/1	0.120	3 आंजन, 1 कसई, 3 पलाश, 2 बेर	609/2		1 आम
719/1	0.060	2 पलाश, 2 बेर, 1 महुआ	716/4	0.030	1 बेर, 1 कसई, 1 आंजन
503	0.010	1 पलाश, 1 बेर	704	0.050	3 आंजन, 2 कसई, 3 बेर, 2 पलाश
589	0.010	3 पलाश, 2 बेर	605/2		
719/2		सी. क्र. 15	605/1	0.080	3 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन
714	0.040	1 महुआ, 1 इमली, 1 बेर	605/3		
720	0.010	1 बेर, 1 कसई	507/5	0.070	3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर
571	0.040	2 बेर, 2 कसई, 2 आंजन, 1 पलाश	569/1	0.040	2 बेर, 2 पलाश, 1 आंजन
715	0.020	2 पलाश, 1 कसई, 1 महुआ	569/2	0.050	2 बेर, 1 पलाश, 1 कसई
718/2	0.010	2 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही	507/6	0.040	3 आंजन, 1 बांस, 2 बेर
721	0.010	1 बेर, 1 कसई	508/2		3 पलाश, 2 बेर, 1 कीन्ही
717	0.050	4 पलाश, 2 कसई, 1 बेर, 1 महुआ	508/3		2 पलाश, 1 कसई
718/3	0.010	1 कसई, 2 बेर, 1 कीन्ही	508/4	0.280	2 बेर, 2 कीन्ही
718/4	0.060	1 कसई, 2 कीन्ही, 1 जामुन, 2 बेर	508/5		
617/5	0.090	2 कसई, 2 बेर, 1 आंजन,	508/6		
617/8			116	0.020	3 पलाश, 1 कसई
617/1	0.180	4 कसई, 4 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन	576/2	0.060	2 पलाश, 2 कसई, 2 बेर, 1 आंजन
			576/1	0.060	3 कसई, 2 आंजन, 3 बेर, 1 पलाश
			576/3	0.030	2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन, 1 कसई
			575	0.050	3 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन, 1 कसई

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—बरघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.450 हेक्टर.

खसरा क्र. अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि	प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
468/5	0.220	1 आंजन, 1 कसई, 3 पलाश
523/1 ग	0.210	1 गुरार, 3 पलाश, 2 बेर
523/2	0.180	4 पलाश, 1 महुआ, 2 गुरार, 3 बेर
523/3		
523/11	0.010	1 बेर
524/4		
523/6	0.050	2 पलाश
524/3	0.080	5 पलाश, 2 बेर
533/5		1 बेर, 1 कुंआ
535/5	0.190	
535/2		1 बेर
536/1	0.110	
535/3	0.290	1 पलाश, 1 बेर, 1 कुंआ, 1 टपरा लेंटर 11x23 फिट
536/2		
535/4	0.340	1 महुआ, 3 पलाश, 2 बेर
536/3		
537/3	0.130	3 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
564/2	0.010	1 पलाश
565/2	0.020	2 पलाश, 1 कसई, 1 बेर
539/2क	0.160	1 महुआ, 1 गुरार, 1 आम, 5 पलाश, 3 बेर, 1 जामुन, 1 कुंआ, 1 लेंटर वाला पटरा
539/2ख	0.330	4 आम, 12 पलाश, 2 बेर, 2 महुआ
539/2 ड		
539/1 च 2 ख	0.010	1 महुआ, 1 पलाश, 1 बेर
539/1 ख	0.020	4 पलाश, 1 कसई, 2 बेर
539/1 घ		
539/1 ज		
539/1 च	0.110	6 पलाश, 3 बेर, 2 कसई, 1 आंजन
539/1 क	0.040	2 कौआ, 1 बेर, 2 पलाश
539/2 ग		
539/1 घ		
539/2 च		
539/1 ग	0.160	6 पलाश, 2 बेर

(1)	(2)	(3)
572/1	0.020	2 आंजन, 2 कसई, 1 पलाश, 1 बेर
612/1	0.090	1 आम, 2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
572/4	0.050	1 आंजन, 2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
570	0.040	1 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
554/4	0.020	2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन
554/3	0.060	3 बेर, 3 पलाश, 2 आंजन
554/1	0.150	5 पलाश, 3 बेर
716/5	0.030	1 कसई, 1 बेर, 1 पलाश
611/3	0.040	3 पलाश, 3 कसई, 2 बेर
610/2	0.090	2 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन
607/2	0.030	2 पलाश, 1 बेर, 1 आंजन
607/7	0.010	
607/3	0.050	2 कसई, 1 आंजन, 2 बेर, 1 पलाश
607/8	0.030	2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
607/5	0.040	2 बेर, 2 कसई, 1 आंजन, 1 पलाश
507/2	0.060	1 कुंआ, 1 आम, 1 बांस, 3 बेर, 1 आंजन
507/5	0.040	3 आंजन, 2 कसई, 1 बांस, 1 बेर
507/7	0.030	2 बेर, 1 आंजन, 1 बांस, 1 पलाश
551	0.010	2 पलाश
549	0.060	1 बेर, 1 पलाश
552	0.010	1 बेर, 1 पलाश
117/1	0.470	2 पलाश, 3 बेर, 3 आंजन, 2 महुआ
603	0.080	2 कसई, 1 नीम, 2 बेर, 1 पलाश
612/2	0.070	2 आंजन, 4 पलाश, 1 आम, 1 नीम
115	0.030	2 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही
709/2	0.040	2 पलाश, 1 बेर, 2 कसई
योग . .	5.150	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110-जि.भू.अ. 2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके

(1)	(2)	(3)
539/2 ड		
539/2 ठ	0.050	2 बांस, 1 महुआ, 1 नीम, 1 पलाश
539/2 घ	0.010	1 पलाश, 1 बेर
542	0.140	7 पलाश, 2 बेर
541/7	0.030	2 पलाश
541/11	0.020	2 पलाश, 1 बेर
541/10	0.030	2 बेर, 1 पलाश, 1 कसई
541/9	0.030	2 पलाश, 1 बेर, 1 आंजन
594/1	0.040	5 पलाश, 2 कसई, 3 बेर, 1 आंजन
595/1		
594/2	0.130	2 चार, 12 पलाश, 1 बेर, 1 तेंदू
595/2		
594/3	0.070	5 पलाश, 1 सिलवट, 1 कसई
595/3		
594/4	0.020	3 बेर, 5 पलाश, 1 कसई, 1 आंजन
595/4		
594/5	0.040	5 पलाश, 3 बेर
595/5		
597/1	0.130	6 बेर, 5 पलास, 1 कसई
597/2	0.100	5 पलाश, 4 बेर, 1 खमेर
598/2	0.050	2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई 1 आंजन
598/6	0.080	1 गुरार, 1 कसई, 8 पलाश, 3 बेर, 1 महुआ
598/8	0.200	12 पलाश, 6 बेर, 3 कसई, 2 आंजन
598/5	0.050	2 बेर, 4 पलाश
598/7	0.140	11 पलाश, 3 बेर, 2 कसई, 1 गुरार
598/13	0.030	2 कसई, 3 बेर, 1 आंजन, 1 पलाश
598/11	0.090	2 बेर, 3 पलाश, 1 कसई
598/12		2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन
598/14	0.010	1 पलाश, 1 बेर
598/15	0.010	2 पलाश
590/6	0.040	1 आंजन, 2 बेर, 2 पलाश
590/9		
590/24	0.200	1 बीजा, 1 आम, 1 सेमर, 1 कौआ
590/25		
590/26	0.040	1 जामुन, 1 कौआ
590/27		

योग . . 4.450

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110-जि.भू.अ. 2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—मानेगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.300 हेक्टर.

खसरा क्र. अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि	प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
386	0.070	5 आंजन, 2 कसई, 2 पलाश, 2 बेर, 1 बांस, 1 बेर, 1 कुंआ
389	0.020	
387	0.070	1 आम, 1 आंजन, 2 बेर, 1 बांस
385/1	0.020	2 बेर, 1 पलाश, 1 कसई
385/2	0.220	1 गुरार, 5 बेर, 1 पलाश
384	0.100	1 आम, 2 कसई, 2 पलाश, 1 बेर
380/2	0.040	3 बेर, 1 आम, 1 पलाश
380/3	0.060	1 आम, 2 कसई, 4 पलाश, 3 बेर
380/5	0.040	1 आंजन, 1 कसई, 1 पलाश, 1 बेर
381/3	0.060	2 बेर, 1 कसई, 1 पलाश
381/5	0.030	1 जामुन, 1 महुआ, 1 पलाश, 1 बेर
381/1	0.040	1 पलाश, 2 बेर
381/4	0.060	1 बेर, 1 पलाश
330	0.090	5 पलाश, 1 कसई, 1 आंजन, 1 बेर
338/4	0.010	1 बेर, 1 कसई
338/6	0.200	4 पलाश, 2 बेर
338/7		
341	0.050	2 पलाश, 1 बेर
329/5	0.010	1 पलाश, 1 बेर
332	0.110	3 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन, 1 बांस

योग . . 1.300

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पलेरा
(ग) नगर/ग्राम—खेरा, विजयपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.578 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<u>50/1/1</u> 1.000	0.038
<u>50/1/4</u> 1.000	0.106
<u>336/11/25</u> 0.500	0.074
<u>336/41/41</u> 0.200	0.036
<u>336/41/34/1</u> 1.000	0.208
<u>336/41/43/ख</u> 1.283	0.116
योग . .	<u>0.578</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—खेरा-विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम—खेरा, विजयपुर की भूमि अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण सं. सागर जिला सागर के कार्या. में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-1197 प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—टैमाची
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.55 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
537 पैकी	0.15
538 पैकी	0.15
541/3 पैकी	0.10
541/2 पैकी	0.15
योग . .	<u>0.55</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—छोटाईटारा सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 44-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची

के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) ग्राम—आंतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.610 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1523/मि-1	0.073
1523/1मि-2	0.157
1523/2	0.380
योग .	<u>0.610</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. 11018-प्र. क्र.-3-अ-82-वर्ष-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली

- (ग) ग्राम—विलहरी, प.ह.नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.67 हेक्टर.

खसरा नं. में से	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235/1	0.04
239/1	0.18
239/2	0.19
268	0.02
238/1	0.02
238/2	0.14
240	0.25
157/1	0.33
92/1	0.03
309	0.05
312	0.18
314	0.10
308	0.66
313	0.05
317	0.01
318	0.06
327/3	0.04
72	0.03
319	0.06
326	0.03
327/5	0.01
327/6	0.01
320/1	0.02
321	0.04
323/1	0.04
325	0.03
327/1	0.07
327/4	0.04
327/2	0.05
190	0.50
191/1	0.39
योग .	<u>3.67</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—विलहरी जलाशय योजना की दाईं मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण किया जा सकता है—अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11019-प्र. क्र.-1-अ-82-वर्ष-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—पटना नाहर मऊ, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.99 हे.

खसरा नं. में से (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
76/2	0.07
77/4	0.14
88/2	0.05
89	0.01
96/1	0.12
96/2	0.01
96/3	0.03
96/4	0.03
96/5	0.01
96/6	0.01
96/7	0.01
96/8	0.01
96/9	0.01
96/10	0.01
96/11	0.01
96/12	0.10
97/1	0.05
97/3	0.15
100/1	0.17
379	0.15
380	0.18
90/2	0.18
92/2	0.03
92/4	0.17
94/1	0.08

(1)	(2)
253	0.02
252	0.06
390	0.01
257/4	0.01
258	0.07
274	0.10
287	0.01
347	0.08
349	0.08
353	0.12
354	0.27
364/2	0.40
387	0.06
388	0.06
389/1	0.08
389/2	0.09
391/2	0.01
392	0.07
393	0.08
396/5	0.14
377/1	0.15
377/4	0.14
377/5	0.04
377/2	0.01
360/1	0.02
266/2	0.02
योग . .	<u>3.99</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—विलहरी जलाशय योजना की दाईं मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण किया जा सकता है— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11020-प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—मेडकी, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.51 हे.

खसरा नं. में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
329/2	0.07
333/1	0.12
334/2	0.12
335/3	0.01
335/1	0.10
359	0.37
360	0.02
363/1	0.16
363/2	0.09
391	0.02
363/3	0.03
364/1	0.30
365	0.14
368/1	0.17
368/2	0.05
370/1	0.26
371	0.07
392	0.06
394	0.05
397/1	0.30
योग . . .	2.51

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—विलहरी जलाशय योजना की दाईं मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण किया जा सकता है— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 12969-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—घोटीयादेव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.993 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/1	0.585
111/2	0.390
111/5	0.410
111/6	0.365
111/7	0.410
113/1	2.100
115	1.415
150/1	2.465
150/2	0.318
157/2	0.900
163/1/4	0.570
163/1/3	0.650
163/1/1	0.940
163/2	0.418
163/1/2	0.250
164, 165, 166	0.668
169/2	0.105
170	1.600
222/3	0.210
213/3	0.063
213/5, 213/6,	0.272
216/2, 217/2	

अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—बढ़ौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.28 हेक्टेयर.

हटवा माइनर से बढ़ौना सब-माइनर के निर्माण हेतु

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
550	0.10
551	0.02
549	0.01
548	0.02
544	0.02
545	0.01
547	0.01
555	0.03
573	0.03
572	0.03
575	0.03
576	0.02
577	0.04
578	0.03
637	0.12
638	0.04
640	0.01
639	0.03
652	0.02
651	0.07
695	0.12
696	0.03
697	0.04
135	0.05
133	0.02
134	0.01
140	0.01
141	0.02

(1)	(2)
213/4	0.283
213/5	0.400
215/2	0.084
215/5	0.105
215/1	0.167
215/3, 215/6	0.418
216/1	0.334
216/6	0.271
217/7	0.040
217/1	0.700
217/3	0.109
217/4	0.180
218	0.550
220	1.411
221/2	0.105
167/1	0.732

योग . . . 20.993

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“घोटीया देव तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 2303-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

(1)	(2)	(1)	(2)
132	0.03	353	0.02
131	0.02	352	0.03
130	0.07	351	0.02
107	0.02	387	0.05
129	0.03	388	0.03
128	0.01	389	0.01
167	0.02		योग (अ) . . . 2.25
177	0.02		(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण
166	0.01	556	0.01
179	0.03	292	0.01
180	0.02	606	0.01
181	0.02		योग (ब) . . . 0.03
182	0.02		महायोग (अ+ब) . . . 2.28
183	0.05		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
209	0.01		बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत हटवा माइनर की बढ़ौना
210	0.04		सब-माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी
212	0.02		भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के
229	0.02		अर्जन हेतु.
213	0.02		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर
225	0.02		परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
223	0.01		क्र. 2305-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को
222	0.01		इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के
221	0.03		पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
220/2	0.03		भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
287	0.01		अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के
218/1	0.02		अंतर्गत, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय
290	0.03		भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
316	0.06		अनुसूची
317	0.01		(1) भूमि का वर्णन—
315	0.01		(क) जिला—सीधी
319	0.01		(ख) तहसील—चुरहट
320	0.04		(ग) ग्राम—कमर्जी
333	0.04		(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.765 हेक्टेयर.
336	0.04		कमर्जी माइनर से कमर्जी सब-माइनर के निर्माण हेतु
337	0.04		(अ) निजी भूमि का विवरण
338	0.03		खसरा नं.
362/2	0.01		अर्जित रकबा
339	0.06		(हे. में)
340/1	0.02	(1)	(2)
354	0.08	410	0.01
355	0.01	416	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
417	0.02	1415	0.03
415	0.07	1416	0.02
515	0.07	1419	0.02
520	0.02	1460	0.02
521	0.01	1461	0.01
497	0.01	1462	0.02
526	0.05	1463	0.02
525	0.01	1464	0.02
529	0.05	1465	0.07
530	0.02	1466	0.02
532	0.03	1455	0.01
492	0.05	1456	0.01
533	0.01	1454	0.02
534	0.01	1248	0.04
2375	0.02	1250	0.01
535	0.04	1251	0.02
541	0.02	1252	0.02
551	0.03	1243	0.01
550	0.02	1220	0.02
549	0.02	1472	0.06
591	0.02	1474	0.02
596	0.02	1421	0.03
597	0.02	1422	0.02
599	0.04	1427	0.03
605	0.01	1445	0.02
606	0.02		
629	0.02	योग (अ) . .	<u>1.70</u>
630	0.01		
639	0.03	(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण	
1307	0.03	609	0.01
1308	0.02	607	0.02
1311	0.06	608	0.01
1322	0.05	638	0.005
1323	0.02	1301	0.01
1324	0.05	1321	0.01
1400	0.02	योग (ब) . .	<u>0.065</u>
1401	0.03	महायोग (अ+ब) . .	<u>1.765</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कमर्जी माइनर की कमर्जी सबमाईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	(1) 137/1 137/2 137/3	(2) 0.018 0.018 0.018
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	137/4 140/1/1	0.018 0.032
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	140/1/2 140/1/3 140/1/3	0.032 0.032 0.032
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	140/2 140/3/1 140/3/2	0.058 0.040 0.040
राजगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2013	141/1	0.015

योग . . 0.453

क्र. 8861-62-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
प्रयोजन (ग्राम पालाबे तालाब) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6
के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

ग्राम-बांकपुरा

90/2	0.145
योग . .	0.145

ग्राम-मवडीपुरा

5/1	0.100
47/1	0.180
23	0.253
26/71	0.025
योग . .	0.558
महायोग . .	1.156

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—देहरीजागीर, मवडीपुरा, बांकपुरा
(घ) क्षेत्रफल—1.156 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम-देहरीजागीर

136/1	0.025
136/3	0.025
136/4	0.025
136/5	0.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—(ग्राम
मान्यापुरा तालाब की नहर) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) राजगढ़, के कार्यालय में किया जा
सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.